

## समय सीमा समीक्षा बैठक दिनांक 11.02.2019 का कार्यवाही विवरण।

आज दिनांक 11.02.2019 को समय सीमा बैठक श्रीमति छवि भारद्वाज, कलेक्टर जबलपुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमति रजनी सिंह, अपर कलेक्टर डॉ.राहुल फटिंग एवं एस.डी.एम. तथा विभाग जिला प्रमुख उपस्थित रहे।

1. **केबिनेट बैठक :-** जबलपुर में केबिनेट की बैठक के अंतर्गत सौंपे गए दायित्वों का तत्परता से निर्वाह करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। विभागीय गतिविधियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति और मैदानी स्थिति से स्वयं को अपडेट रखें। प्रथम बार जबलपुर में आयोजित हो रही प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक का शहर और जिले को अधिक से अधिक लाभ मिल सके ऐसे प्रयास प्रत्येक अधिकारी को करना हैं। यह ऐसा अवसर है जब शासन के सभी मंत्री और विभागों के प्रमुख जबलपुर आ रहें। इस दौरान अधिकारी विभाग की रूकी हुई परियोजनाओं और प्रस्तावों पर मंत्रियों और विभाग प्रमुखों से न केवल चर्चा करे बल्कि अपना पक्ष बेहतर तरीके से रखें एवं जरूरत पड़ने पर स्थल का भ्रमण भी करायें। केबिनेट बैठक में जो मंत्रीगण आएंगे उनके साथ एक-एक लाजनिंग आफिसर नियुक्त किया जाना है। जिनके बिन्दु केबिनेट में सम्मिलित है उनके पी.एस. भी आएंगे। नियुक्ति आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए। संबंधित विभागीय जिला अधिकारी आज ही अपने विभागीय मंत्री जी के ओ.एस.डी. से सम्पर्क कर लें। उनसे मंत्री जी के आने का शेड्यूल प्राप्त कर लें। रिसेप्शन की व्यवस्था आप सबकी हैं। विभागीय स्तर पर तदानुसार तैयारी कर लें। मंत्रियों की रूकने की व्यवस्था की गई हैं। जिला अधिकारी सुनिश्चित कर लें। व्यवस्था चैक कर लें। विभागीय अधिकारी अपने-अपने विभागों की पेंडेंसी एक बार रिव्यू कर लें। समीक्षा बैठक में सी.एम.एच.ओ., एल.डी.एम., ई.ई. एन. व्ही.डी.ए. बरगी डेम, डी.डी.व्ही. अनुपस्थित रहे एवं इनके प्रतिनिधि भी उपस्थित नहीं थे। तत्संबंध में नाराजगी व्यक्त की गई।

जनसभा के दौरान हितग्राही मूलक उपलब्धियां है ऐसी प्रतिभाओं को सम्मान दिया जाना है। चिन्हित कर लें – सी. ई. ओ. जेड. पी. को आज ही नाम पहुँचा दें। हितलाभ वितरण के

संबंध में ए डी एम शहर एस डी एम जबलपुर को निर्देश दिए कि राजस्व लोक अदालत में होने वाले निराकरण/ हितलाभ का वितरण माननीय मु. मं. जी से कराया जाना है।

2. **फ्लेगशिप योजनाएँ** :- वर्तमान में शासन की तीन फ्लेगशिप योजनाएँ हैं। (1) जय किसान ऋण माफी योजना—जय किसान ऋण माफी योजना के तहत प्राप्त शिकायतों का तत्परता से निराकरण करने के निर्देश दिए।

(2) गोशाला का गठन—जिसमें जिले के लिए 30 का लक्ष्य रखा गया है। पूर्व बैठक में निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक जनपद पंचायत में तीन गोशालाओं के निर्माण के लिए भूमि चिन्हित करें। इसमें उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए जहां इनकी ज्यादा आवश्यकता है। पुरानी गोशाला या कांजी हाउस को भी इसके लिए चिन्हित किया जा सकता है। जिसमें संबंधित निकाय के माध्यम से ऐसे भवनों की मरम्मत या जीर्णोद्धार का प्रस्ताव तैयार किया जाए। गोरखपुर क्षेत्र के लिए विशेषतः जमीन उपलब्ध कराना है। अधारताल, रांझी, जबलपुर, गोरखपुर शहरी क्षेत्र के लिए सभी एस.डी.एम. को नगर निगम से समन्वय करना है।

(3) व्यापक लोक हित में आपराधिक प्रकरणों का प्रत्याहरण पूर्व निर्देश अनुसार तत्संबंध में संबंधित अधिकारियों को पुनः निर्देश दिए गए।

3. **विस्थापित** :- मदनमहल पहाड़ी से तिलहरी में बसाए जा रहे विस्थापितों के बच्चों के लिए वहां स्थित शासकीय स्कूलों में उनकी पढाई तथा निःशुल्क कोचिंग सुचारु रूप से जारी रखने के एवं मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था नियमित रूप से संचालित करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी और जिला योजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान को दिए। तिलहरी में आंगनबाड़ी केन्द्र का संचालन किया जाए। चिकित्सा शिविर को निरंतर जारी रखते हुए विस्थापितों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं दवाओं का वितरण किया जाए। विद्युत और पेयजल की आपूर्ति से जुड़े मुद्दों को शीघ्र हल किया जाए। रेडक्रास सोसायटी की ओर से कंबल वितरण एवं भोजन की व्यवस्था जारी रखी जाए। आधार पंजीयन के लिए शिविर लगाये जाएं। यह भी

हिदायत दी गई कि बच्चों के अध्ययन में किसी भी तरह से बाधा न आए, उन्हें मध्याह्न भोजन सहित अन्य सुविधाएँ और शासकीय योजनाओं का नाम मिलना सुनिश्चित किया जाए। यहां हेल्थ कैंप लगाने के लिए भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। विस्थापितों के लिए तिलहरी में पट्टे प्रदान करने की प्रक्रिया तुरन्त चालू की जाए।

4. नर्मदा जयंती:- 12 फरवरी को नर्मदा जयंती को लेकर चल रही तैयारियों पर भी अधिकारियों से चर्चा की गई। नगर में पदस्थ एस डी एम तहसीलदार सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को सुरक्षा और व्यवस्था सहित यातायात के इंतजाम की तैयारी के निर्देश दिए गए।

उक्त निर्देशों के साथ मीटिंग सधन्यवाद समाप्त की गई।

  
कलेक्टर  
जबलपुर

पृ.क्र/1180/अधीक्षक/टी.एल/2019

जबलपुर दिनांक 13 फरवरी, 2019.

प्रतिलिपि :-

1. कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर।
2. जिले के समस्त विभाग प्रमुख को सूचनार्थ पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

  
कलेक्टर  
जबलपुर